YEAR-WISE ALLOCATION AND EXPENDITURE STATEMENT
OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT

(Rupees in Lakhs)

Sr. No.	Year	Budget Provision		Revised Estimates		Actual Expenditure	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non Plan	Plan	Non Plan
1	2009-10	550.00	2595.00	550.00	2595.00	514.82	2932.19
2	2010-11	550.00	2867.00	550.00	3039.00	524.99	2981.30
3	2011-12	1898.00	3319.00	1898.00	3319.00	663.92	3318.24
4	2012-13	1500.00	4061.00	1500.00	4061.00	408.84	3373.57
5	2013-14	831.00	3867.00	571.00	3883.00	443.69	3755.81
6	2014-15	831.00	4709.00	591.00	4571.25	564.52	4266.31
7	2015-16	500.00	5142.00	670.00	4786.50	573.25	4387.03
8	2016-17	900.00	5611.00	638.00	5250.00	606.31	5150.82
9	2017-18	6548					

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

***

<u>वर्ष 2017-18 का निष्कर्ष बजट (OUTCOME BUDGET)</u>

1. भूमिका

1.1 संघ सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, **1963** एवं राजभाषा नियम, **1976,** राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राष्ट्रपति के समय समय पर जारी आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग एक नोडल विभाग है। इसकी स्थापना जून, **1975** में की गई थी। यह विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है । इनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, कार्यालयों का निरीक्षण करना, आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन आदि करना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय करना आदि शामिल है । यह विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का कार्य भी करता है । कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न इलैक्ट्रानिक उपकरणों में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करने की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे उपकरणों के विकास तथा उपलब्धता संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने की भूमिका भी राजभाषा विभाग निभा रहा है ।

1.2 राजभाषा विभाग मूलत: राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग से जुड़ी गतिविधियां निष्पादित करता है । यह विभाग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देता है । राजभाषा विभाग सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा एंव हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण, सरकारी सामग्री के अनुवाद कार्य, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है । विभाग का यह भरसक प्रयास होता है कि बजट में आवंटित राशि का सदुपयोग कर लिया जाये ।

2 राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय

2.1 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

2.1.1 राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 31 अगस्त, 1985 को नीचे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी :-

(1) केंद्र सरकार के कार्यालयोंहिंदी न ,निगमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती ,उद्यमों ,उपक्रमों , जानने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का तथा अंग्रेजी टंकण और / अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के करना। पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था

(2) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

(3) संघ सरकार के उन अधिकारियों किंतु ,कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं / कर्मचारियों के लिए पांच / ऐसे अधिकारियों ,ते हैंहिंदी में कार्य करने में कठिनाई महसूस कर दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करना।

2.1.2 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप संस्थान

संस्थान के कार्यकलापं को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नै में 05 उप संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के गुवाहाटी, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। देश भर में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए 386 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र तथा 17 अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं।

हिंदी शिक्षण / प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	**वर्ष 2014-2015**		**वर्ष 2015-2016**		**वर्ष 2016-2017**	
	लक्ष्य वार्षिक (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	**उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)**	**लक्ष्य वार्षिक (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)**	**उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)**	**लक्ष्य वार्षिक (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)**	**उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)**
(1) हिंदी भाषा प्रशिक्षण प्राज्ञ ,प्रवीण ,प्रबोध) (तथा पारंगत						**31 अक्तूबर 2016 , तक**
(क) हिंदी शिक्षण योजना	31,080	23132	29,780	21,969	29,500	22,950
(ख) गहन प्रशिक्षण	2,700	1,549	2,700	1,370	3,510	524
(ग) भाषा पत्राचार	4,000	3,966	4,000	4,124	4,000	3,034
कुल	**37,780**	**28,647**	**36,480**	**27,463**	**37010**	**26,508**
(2) हिंदी टंकण प्रशिक्षण						
(क) हिंदी शिक्षण योजना	2,790	1,926	2,790	2,033	3,210	2,068
(ख) गहन टंकण	660	437	570	487	630	165
(ग) टंकण पत्राचार	1,000	1,079	1,000	1,411	1,000	1,054
कुल	**4,450**	**3,442**	**4,360**	**3,931**	**4,840**	**3,287**
(3) हिंदी आशुलिपि						
(क) हिंदी शिक्षण योजना	1,260	354	1260	294	1260	267
(ख) गहन प्रशिक्षण	180	25	150	28	210	27
कुल	**1,440**	**379**	**1,410**	**322**	**1470**	**294**
(4) हिंदी कार्यशालाएँ						
(क) कार्यक्रम	15 कार्यक्रम	41 कार्यक्रम	15 कार्यक्रम	14 कार्यक्रम	15 कार्यक्रम	08 कार्यक्रम
(ख) प्रशिक्षार्थी	450 प्रशिक्षार्थी	861 प्रशिक्षार्थी	450 प्रशिक्षार्थी	530 प्रशिक्षार्थी	450 प्रशिक्षार्थी	304 प्रशिक्षार्थी

हिंदी शिक्षण / प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2014-2015		वर्ष 2015-2016		वर्ष 2016-2017	
(5) अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम						
(क) कार्यक्रम	07 कार्यक्रम	04 कार्यक्रम	07 कार्यक्रम	06 कार्यक्रम	07 कार्यक्रम	03 कार्यक्रम
(ख) प्रशिक्षार्थी	नामन पर आधारित	85 प्रशिक्षार्थी	नामन पर आधारित	183 प्रशिक्षार्थी	नामन पर आधारित	68 प्रशिक्षार्थी

2.2 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (अनुवाद कार्य) :

01 मार्च, 1971 को स्थापित राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांवाधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य करता है और केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है । ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त बैगलूरू, मुबंई व कोलकाता में अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्थाएं है।

अनुवाद कार्य

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान 41,600 मानक पृष्ठों के अनुवाद के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2016 तक कुल 32,634 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया । वर्ष 2016-17 में 37,000 मानक पृष्ठ का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष अक्तूबर, 2016 तक कुल 19,887 **मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया ।**

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

SI N0.	Name of Schemes/ Programmes	Objective/ Outcome	Outlay 2016-17			Quantifiable Deliverables / Physical Outputs (Upto 31 october,16)
1	2	3	4 (i)	4 (ii)	4(iii)	5
			Non-Plan Budget (Rs. In thousands)	Plan Budget (Rs. In thousands)	Complementary Extra- Budgetary Resources	
`1.	अनुवाद	37,000 मानक पृष्ठ			NIL	19,887 मानक पृष्ठ

2.	अनुवाद प्रशिक्षण	96 कार्यक्रम 1440 प्रशिक्षार्थी (स्तर-1,2,&3) 1 आरंभिक अनुवाद प्रशिक्षण (16 कार्यक्रम – 320 प्रशिक्षार्थी) 2 उच्च स्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण (03 कार्यक्रम – 60 प्रशिक्षार्थी) 3 पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण (08 कार्यक्रम – 1 60 प्रशिक्षार्थी) 4 संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण (16 कार्यक्रम – 400 प्रशिक्षार्थी) 5 विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण (04 कार्यक्रम – 80 प्रशिक्षार्थी)	154100	400	NIL	09 कार्यक्रम 190 प्रशिक्षार्थी 06 कार्यक्रम 87 प्रशिक्षार्थी 02 कार्यक्रम 22 प्रशिक्षार्थी 01 कार्यक्रम 25 प्रशिक्षार्थी 08 कार्यक्रम 248 प्रशिक्षार्थी 01 कार्यक्रम 17 प्रशिक्षार्थी

3. राजभाषा हिंदी का तकनीकी पहलू

3.1 राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग हिंदी प्रयोग के लिए साफ्टवेयर विकसित करवाने एवं प्रशिक्षण दिलवाने के साथ-साथ तकनीकी संगोष्ठियों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से सम्पर्क स्थापित करता है साफ्टवेयर अनुप्रयोग (Applications) द्वारा हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

3.2 तकनीकी प्रभाग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रयोग के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से करवाता है । इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों के अधिकारी/कर्मचारी नि:शुल्क भाग ले सकते हैं । वर्ष 2015-16 में हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के कुल 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से करवाया गया । वर्ष 2016-17 में 100 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षणों के लक्ष्य के सापेक्ष अक्तूबर, 2016 माह तक केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 38 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए गए **हैं** । शेष कार्यक्रमों के लिए आयोजन के लिए प्रयास जारी है | वर्ष 2017-18 में भी 100 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित है ।

3.3 तकनीकी प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष चार तकनीकी संगोष्ठियों और कंप्यूटर प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंम्प्यूटरों में द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) सुविधाओं के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है । वर्ष 2015-16 में इस प्रकार के चार सत्र आयोजित करवाए गए । वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17 में 02

तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन अमृतसर व बेंगलुरु में करवाया गया तथा वर्ष 2016-17 में 02 और आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित हैं । वर्ष 2017-18 में भी 04 तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन का लक्ष्य है।

4. **अनुसंधान एकक की गतिविधियां**:

अनुसंधान अनुभाग द्वारा राजभाषा विभाग की नीतियों का अनुपालन करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम मुद्रित करवाकर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय कार्यालयों इत्यादि को इस अनुरोध के साथ जारी किया जाता है कि वे राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए तथा राजभाषा विभाग की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए। तत्पश्चात सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय कार्यालयों इत्यादि से वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा राजभाषा विभाग की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने की दिशा में किए गए उपायों एवं प्रयासों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी मंगवायी जाती है। सभी मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय कार्यालयों इत्यादि से प्राप्त वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों के आंकड़ों को समेकित करके राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको लोक सभा और राज्य सभा के दोनों सदनों के पटलों पर रखा जाता है ।

साथ ही, अनुसंधान अनुभाग द्वारा प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे राजभाषा विभाग की डायरी, कैलेंडर, महापुरूषों के राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रकट किए गए उद्गारों के पोस्टर इत्यादि को मुद्रित करवाकर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय कार्यालयों में वितरित किया जाता है । इसके साथ-साथ अनुसंधान अनुभाग द्वारा राजभाषा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार कर मुद्रित करवाई जाती है ।

इस अनुक्रम में राजभाषा विभाग के अनुसंधान अनुभाग द्वारा प्रति वर्ष डायरी एवं कैलेंडर का मुद्रण करवाकर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को वितरण किया जाता है।

4.1. पत्र-पत्रिकाओं तथा राजभाषा साहित्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार

4.1.1. राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के पहलू को सरकारी तंत्र में सशक्त रूप से पेश करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई है। अनुसंधान प्रभाग के पत्रिका एकक द्वारा त्रैमासिक पत्रिका **राजभाषा भारती** का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण किया जाता है । इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के साथ, मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों व अन्य संस्थाओं की राजभाषा संबंधी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है । **सितंबर, 2016 तक इस पत्रिका के 148 अंक प्रकाशित हो चुके है तथा इसका 149वां प्रकाशाधीन है ।**

4.1.2 विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित की जा रही हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से **"हिंदी पत्रिका पुरस्कार योजना"** शुरू की गई है । इस योजना के तहत मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए क, ख तथा ग क्षेत्रों में क्रमश: 02-02 पुरस्कार दिए जाते हैं ।

4.1.3 दिसम्बर, 2014 तक की प्रकाशित स्तरीय हिंदी पुस्तक सूची जारी की गई जिसमें कुल 47299 पुस्तकें शामिल की गई हैं ।

5 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व अनुश्रवण पक्ष

5.1 **राजभाषा नीति के अंतर्गत राजभाषा का प्रचार-प्रसार प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार व सदभावना के आधार पर किया जाना है । अतः राजभाषा विभाग में विविध माध्यमों यथा प्रकाशन, मुद्रण व इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से व्यापक व गहन प्रसार की अल्पकालिक व दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक है । संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदव के आठवें खण्ड़ में की गयी संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति जी द्वारा पारित आदेश में भी राजभाषा के प्रभावी प्रचार-प्रसार का प्रावधान है ।**

5.2 समितियां

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्न समितियां गठित हैं :

5.2.1 केन्द्रीय हिंदी समिति

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में **केन्द्रीय हिंदी समिति** का गठन केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में हिंदी के व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रगामी प्रयोगार्थ किया गया था । यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। समिति में प्रधान मंत्री जी (अध्यक्ष), गृह मंत्री जी (उपाध्यक्ष), गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (सदस्य),06 अन्य केन्द्रीय मंत्री, 06 राज्यों के मुख्य मंत्री, 04 संसद सदस्य तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के **21** विद्वान, सचिव राजभाषा विभाग (सदस्य सचिव) कुल मिलाकर **41**सदस्य हैं । इस समिति की अब तक 30 बैठकें हो चुकी हैं। इस समिति की पिछली (30वीं) बैठक दिनांक 28.07.2011 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी । इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है । **केन्द्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन एवं अगली बैठक का मामला राजभाषा विभाग के विचाराधीन है।**

5.2.2 संसदीय राजभाषा समिति

इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया । इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का होते है 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं । इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । अभी तक संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंड़ों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जा

चुके हैं । संसदीय राजभाषा समिति के नौंवे खण्ड़ में की गयी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी को दिनांक 01.06.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रतिवेदन के नौंवे खण्ड को संसद के पटल पर मानसून सत्र-2011 में पटल पर रखा गया है। इसमें की गयी सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही है, इनके अध्ययन के पश्चात् इस पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी ।

राजभाषा हिंदी के प्रभावी तथा सुचारू कार्यान्वयन की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अपनी स्थापना से **दिसम्बर, 2016 तक 12,224 सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि का निरीक्षण किया गया है तथा 882 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया है ।**

5.2.3 **हिंदी सलाहकार समितिः**

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान में 54 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित है । इस समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित करना वांछित है ।

5.2.4 केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितिः

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं। इस समिति की अब तक 38 बैठकें हो चुकी हैं । इसकी पिछली (38वीं बैठक) मार्च 2016 में आयोजित हुई । **इस वर्ष के लिए केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन चार चरणों में दिनांक 08 जनवरी, 01 अप्रैल, 04 मई तथा 31 मई, 2016 को हुई ।**

5.2.5 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां:

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढावा देना तथा इसके मार्ग में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना है । वर्तमान में देश के विभिन्न नगरों में 438 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं जिनमें से **50** समितियां राष्ट्रीयकृत बैंको के लिएतथा**15**समितियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गठित है । इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं ।

5.2.6 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है | इसकी बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित होती हैं| बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं

6 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.1 सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा इस संबंध में बनाए गए राजभाषा नियमों की अनुपालना की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2015-16 में 3,024 केन्द्रीय कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षणके सापेक्ष 1582 निरीक्षण किये गए ।वर्ष 2016-17 में भी 3024 कार्यालयों के निरीक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष में अक्टूबर**, 2016 तक 847 निरीक्षण किए गए है ।**

7 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकें

7.1 वर्ष 2015-16 में 770 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2016 तक 643 बैठकें आयोजित हुई।वर्ष 2016-17 में 634 बैठकों के आयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष **अक्टूबर 2016 तक 437 बैठकें आयोजित हुईं ।**

8 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

8.1 राजभाषा हिंदी के प्रति एक आदर्श वातावरण बनाने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं । संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा संबंधी सांविधिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन विधिवत रूप से करने के लिए इन राजभाषा सम्मेलनों में संघ की राजभाषा नीति संबंधी विषयों पर विचार मंथन भी किया जाता है । वर्ष 2015-16में 04 सम्मेलनों का लक्ष्य था और चारों सम्मेलनों का आयोजन किया गया ।

वर्ष 2016-17 में प्रथम सम्मेलन दिनांक 06.10.2016 को आगरा में, दूसरा सम्मेलन दिनांक 12.11.2016 को गंगटोक में, तीसरा सम्मेलन दिनांक 23.12.2016 को हैदराबाद व चौथा तथा अँतिम सम्मेलन उदयपुर में प्रस्तावित है ।

9 राजभाषा प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार

9.1 दिनांक 14.09.2016को नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन ऑडिटोरियम में वर्ष 2015-16 के लिए मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,

राष्ट्रीयकृत बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को शील्डें तथा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **राजभाषा गौरव पुरस्कार** प्रदान किए गए ।

10. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा - विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबंद्ध कार्यालयों में फैले हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्त, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर दिलाने हेतु वर्ष **1981** में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन केन्द्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष **1976** में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया है । राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है । इस सेवा में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के सभी हिंदी पद कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग यथा सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आदि को छोड़कर, शामिल हैं । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में इस सेवा में शामिल **1013** विभिन्न पदों का वर्गीकरण वर्तमान में निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**कुल पद**
1.	निदेशक	18
2.	संयुक्त निदेशक	**36**
3.	उप निदेशक	**86**
4.	सहायक निदेशक	**204**
5.	वरिष्ठ अनुवादक	**320**
6.	कनिष्ठ अनुवादक	349
	कुल =	**1013**

11. वित्तीय प्रावधान - राजभाषा विभाग को विभाग की विभिन्न राजभाषायी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना **(2012-13** से **2016-17)** में **4**5.62 करोड़ रूपए की राशि प्लान बजट मे तथा **233.90** करोड़ रूपए की राशि आंवटित की है ।

*****